

# समाहरणालय गिरिडीह ।

समाहर्ता या समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा ए0डी0बी0 सम्पोषित पचम्बा-जमुआ-श्रवण (पैकेज-2) पथ परियोजना हेतु ग्राम-घोरंजो, थाना-जमुआ, थाना सं0-450, अंचल-जमुआ, में कुल 0.2850 एकड़ यानि 0.1153 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.2850 एकड़ यानि 0.1153 हेक्टेयर है और जो ग्राम-घोरंजो, थाना-जमुआ, थाना सं0-450, अंचल-जमुआ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र.	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	1	451/1	रैयती	टाँड दो	0.0129	सलामत मियां पिता स्व0 भेरो मियां	सड़क	प्लॉट नं 451	प्लॉट नं. 450	प्लॉट नं. 408
2	1	451/2	रैयती	टाँड दो	0.0257	अमरीत मियां पिता स्व0 भेरो मियां				
3	1	451/3	रैयती	टाँड दो	0.0725	अब्दुल मियां पिता स्व0 भेरो मियां				
4	1	451/4	रैयती	टाँड दो	0.0485	सलीम अंसारी पिता स्व0 मूरत मियां				
5	1	451/5	रैयती	टाँड दो	0.0365	सुलेमान मियां पिता स्व0 सुकर मियां				
6	1	451/6	रैयती	टाँड दो	0.0182	सकुर मियां पिता स्व0 मूरत मियां				
7	1	451/7	रैयती	टाँड दो	0.0066	मो0 सिकन्दर अंसारी पिता मो0 सकुर अंसारी				
8	1	451/8	रैयती	टाँड दो	0.0066	फजलू अंसारी पिता रमजान मियां				
9	1	451/9	रैयती	टाँड दो	0.0066	मुस्लीम अंसारी पिता स्व0 अकलू मियां				
10	1	451/10	रैयती	टाँड दो	0.0131	जैनुल मियां वो जब्बार अंसारी पिता स्व0 कूर्वान मियां				
11	1	451/11	रैयती	टाँड दो	0.0066	मो0 इमरान खान पिता मो0 इस्माइल				
12	1	451/12	रैयती	टाँड दो	0.0129	जाफरअली मियां पिता स्व0 भेरो मियां				
13	1	451/13	रैयती	टाँड दो	0.0183	झमेला खातुन पति स्व0 रहीम मियां				
कुल					0.2850					

यदि अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम

विशेष प्रकाशक  
15/11/2020


सं0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

ग्राम- X थाना X थाना सं0 X अंचल X में कुल X एकड़ यानि X हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार निचे दिये गये हैं :-


..... X ..... X .....

विनोद प्रसाद कांडू  
15/2/20  
अमीन,  
गिरिडीह।


 काननगो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, समाहर्ता  
गिरिडीह। गिरिडीह। गिरिडीह।

ज्ञापांक...../भू0अ0 दिनांक.....

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, जमुआ एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गिरिडीह।  
17-02-20

  
अपर समाहर्ता,  
गिरिडीह।

  
समाहर्ता,  
गिरिडीह।